महत्वपूर्ण एवं खास

खरसिया के मुरा में 27 सितम्बर को आयोजित जन समस्या निवारण शिविर अपरिहार्य कारणों से स्थगित

अब शिविर शनिवार 28 सितम्बर को होगा आयोजित

रायगढ़। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में रायगढ़ जिले में ग्रामीणजनों की आवश्यकताओं, शिकायतों एवं समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन विकासखण्ड स्तर पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में 27 सितम्बर को विकासखण्ड खरसिया के ग्राम-मुरा में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन होना था। जो अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। शिविर अब अगले दिन शनिवार 28 सितम्बर 2024 को ग्राम-मुरा, विकासखण्ड खरसिया में आयोजित होगा।

जिले में 1055 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज

रायगढ़। चालू वर्षा मौसम में रायगढ़ जिले में 26 सितम्बर तक 1055 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 34.5 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 1309.3 मिली मीटर, पुसौर में 1154.7 खरसिया में 1002.4, घरघोड़ा में 1112.4, तमनार में 959.9, लैलूंगा में 932.1, मुकडेगा में 987.3, धरमजयगढ़ में 959 छाल में 1043.8 एवं कापू में 1089 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

दहेज मृत्यु मामले में पुसौर पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक रिमांड पर

रायगढ़। हेड क्वाटर डीएसपी अभिलेश कौशिक के हमराह पुसौर पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के कारण हुई एक नवविवाहिता की आत्महत्या के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतिका के पति जीवन मेहर, पिता चन्द्रमणी मेहर, उम्र 30 वर्ष, निवासी पडिगांव, थाना पुसौर, जिला रायगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है। घटना के संबंध में 23 सितंबर 2024 को पुसौर के सीएचसी (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि मृतिका रोजी मेहर, पति जीवन मेहर, उम्र 29 वर्ष, निवासी पडिगांव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस पर पुसौर थाने में मर्ग क्रमांक 74/24 धारा 194 BNSS के तहत मामला दर्ज कर नवविवाहिता की मृत्यु के वास्तविक कारणों की जांच की गई। जांच के दौरान मृतिका के मायके एवं ससुराल पक्ष के साथ-साथ स्वतंत्र गवाहों के बयान दर्ज किए गए। बयानों से यह स्पष्ट हुआ कि मृतिका रोजी मेहर का विवाह डेढ़ वर्ष पूर्व जीवन मेहर से हुआ था। उसे दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित कर रहे थे, जिससे तंग आकर उसने 23 सितंबर 2024 को आत्महत्या कर ली। जांच के बाद दिनांक 25 सितंबर 2024 को आरोपी जीवन मेहर व अन्य के खिलाफ अपराध क्रमांक 224/2024 धारा 80(2) BNS के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी दिव्यांग पटेल के निर्देशन पर डीएसपी अभिलेश कौशिक ने अपराध डायरी ली और त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक रोहित बंजारे और उनकी टीम के साथ आरोपी जीवन मेहर को हिरासत में लिया। आरोपी से पूछताछ के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इस गिरफ्तारी की कार्रवाई में निरीक्षक रोहित बंजारे, एएसआई उमाशंकर विश्वाल, महिला प्रधान आरक्षक जेनिपा पन्ना एवं हमराह स्टाफ की विशेष भूमिका रही।

जिले में विस्फोटकों के परिवहन, भंडारण और उपयोग में कहीं भी सुरक्षा मानकों से कोई समझौता बिलकुल नहीं होना चाहिए -कलेक्टर

- कलेक्टर गोयल ने कहा जिले में विस्फोटकों के परिवहन की अग्रिम सूचना दें उपयोगकर्ता
- विस्फोटकों के सुरक्षित उपयोग व भंडारण को लेकर कलेक्टर गोयल ने लाईसेंस धारी उद्योग प्रतिनिधियों की ली बैठक
- केन्द्र सरकार के माईनिंग सेफ्टी व पेट्रोलियम एण्ड एक्सप्लोसिव विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद
- उद्योगों को विस्फोटकों के उपयोग के दौरान सभी सुरक्षा व कानूनी मानकों के पालन के दिए गए निर्देश
- पटाखों व पेट्रोलियम पदार्थों के सुरक्षित भंडारण को लेकर भी दिए गए निर्देश

रायगढ़

रायगढ़ में खदानों में विस्फोटकों का उपयोग होता है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के प्रावधान हैं। जिले के भीतर विस्फोटकों के परिवहन, भंडारण और उपयोग के दौरान सुरक्षा मानकों से कहीं पर भी समझौता बिलकुल भी नहीं होना चाहिए। सारे कानूनी प्रावधानों की पूर्ति की जाए और सबसे महत्वपूर्ण जिले में विस्फोटकों के मूवमेंट और परिवहन की पूरी जानकारी जिला प्रशासन और पुलिस को अग्रिम रूप से दी जाए। यह बातें कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विस्फोटक भंडारण, परिवहन और उपयोग की समीक्षा के संबंध में आयोजित उद्योग प्रबंधन की बैठक में कही। उन्होंने कहा कि विस्फोटकों के उपयोग से संबंधित जो भी कानूनी प्रावधान है उसका पालन सभी संबंधित उद्योग सुनिश्चित करें। इसको लेकर अब लगातार जांच और कार्यवाही चलेगी। बैठक में भारत सरकार के

पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी और डायरेक्टर जनरल माईनिंग सेफ्टी विभाग के अधिकारी सहित पुलिस और जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

कलेक्टर गोयल ने साफ तौर पर कहा कि जिले में लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही जन-जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से यह बेहद महत्वपूर्ण है कि विस्फोटकों के परिवहन के दौरान लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जिला कार्यालय के साथ ही पुलिस अधीक्षक और संबंधित थाने को भी इसकी सूचना दी जाए। जिससे प्रशासन सतर्क रहे और जरूरी एहतियात बरती जा सके। इसके साथ ही विस्फोटकों के भंडारण और उपयोग को लेकर भी प्रतिमाह जानकारी उपलब्ध कराई जाए। कलेक्टर गोयल ने कहा कि सरकार ने विस्फोटकों उत्पादन से लेकर उसके सुरक्षित उपयोग तक के लिए मानक तय किए हुए हैं। जिसकी निर्धारित फॉर्मेट में जानकारी संबंधित विभागों को भेजी जानी है। इसमें कही कोई लापरवाही नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि उद्योगों द्वारा विस्फोटकों के भंडारण, परिवहन एवं उपयोग के संबंध में जो भी जानकारी उपलब्ध करायी जाएगी उसके आधार पर प्रशासन द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा। हमारा उद्देश्य विस्फोटकों का सुरक्षित उपयोग तथा नागरिकों की सुरक्षा है।

बैठक में केन्द्र सरकार के पेट्रोलियम एण्ड एक्सप्लोसिव सेफ्टी विभाग के उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक नया रायपुर मुकेश तितरे व डायरेक्टर जनरल माईनिंग सेफ्टी के उप संचालक श्रीनिवास चिर्रा शामिल हुए। अधिकारियों ने विस्फोटकों के सुरक्षित उपयोग हेतु तय मानकों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विस्फोटक के मेनुफेक्चरर से लेकर ट्रांसपोर्ट, भंडारण, उपयोग और विस्फोटक के हैण्डलिंग के लिए सुरक्षा मानक तय किए गए है। इसे पूरा करना हर संबंधित लाईसेंसधारी की जिम्मेदारी है। विस्फोटकों का जब परिवहन हो रहा हो तो संबंधित जिले के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को उसकी जानकारी एडवांस में उपलब्ध करानी है। विस्फोटक के उपयोग के दौरान संबंधित स्थान पर निर्धारित क्षेत्रफल तक सुरक्षा के सभी प्रबंध करना लोगों की आवाजाही तथा अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित करना तथा आपदा एवं राहत बचाव के लिए भी समुचित व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी उस लाईसेंसधारी संस्थान प्रबंधन की है।

बैठक में एडीएम संतन देवी जांगड़े, एडिशनल एसपी रामगोपाल करियारे, डिप्टी कलेक्टर रेखा चन्द्रा, डिप्टी कलेक्टर समीर बड़ा, उप संचालक खनिज राजेश मालवे, सहायक संचालक इंडस्ट्रीयल सेफ्टी मनीष श्रीवास्तव, सीजीएम डीआईसी संजीव सुखदेवे, संभागीय विद्युत निरीक्षक सी.एस.खाण्डे, जिला परिवहन अधिकारी अमित प्रकाश कश्यप, सहायक श्रमायुक्त घनश्याम पाणिग्राही सहित अन्य अधिकारी व विस्फोटक उपयोग करने वाले लाईसेंसधारी उद्योग प्रबंधन व विस्फोटक निर्माता कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

पटाखों व पेट्रोलियम पदार्थों के सुरक्षित भंडारण को लेकर भी दिए गए निर्देश- कलेक्टर गोयल ने बैठक के दौरान पटाखों व पेट्रोलियम पदार्थों के सुरक्षित भंडारण व राहत एवं बचाव के लिए जरूरी व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिस स्थान के लिए लाईसेंस लिया गया है वहीं पर भंडारण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को इसकी नियमित जांच करने व उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश देते हुए कहा कि जन सुरक्षा से किसी प्रकार समझौता नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि आगे त्यौहारों का समय है जिसमें बड़ी मात्रा में पटाखों का भंडारण किया जाता है। इसको लेकर भी जरूरी एहतियात बरती जाए।

बिना ढके कच्चे माल, उत्पाद, अपशिष्ट परिवहन करने वाले वाहनों की जांच लगातार जारी

- तीन गाड़ियों पर ओव्हर लोडिंग के लिए लगाया गया 60 हजार का जुर्माना, एसओपी के उल्लंघन पर नोटिस जारी

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने बिना तारपोलिन ढंके खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर नियमित रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। इसी तरह डिस्पेज सेंटर पर निगरानी बढ़ाने और अवैध रूप से सड़कों पर खड़े वाहनों तथा ओवरलोड गाडिय़ों के खिलाफ ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए है। उक्त निर्देश के परिपालन में संबंधित अधिकारी द्वारा वाहनों पर जांच कार्यवाही की गई। जिसमें 3 वाहनों पर ओवरलोडिंग के मामले में कार्यवाही करते हुए 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि कच्चे माल, उत्पाद, अपशिष्ट परिवहन करने वाले वाहनों का उपयुक्त प्रकार से कव्हर्ड किये जाने बाबत् स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर का पालन की जांच करने गठित कमेटी द्वारा ग्राम-पूंजीपथरा से ग्राम-हुंकराडीपा, तमनार के मध्य जांच की गई। जांच दल में परिवहन विभाग, खनिज विभाग एवं क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल सम्मिलित थे। जांच में लगभग 25 वाहनों की जांच की गई। परिवहन विभाग द्वारा 03 वाहनों में ओवरलोडिंग के साथ परिवहन करते पाये जाने पर 60 हजार रूपये जुर्माना अधिरोपित किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ़ द्वारा ओवर लोडिंग परिवहन करने एवं मण्डल द्वारा जारी एसओपी का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित उद्योग मेसर्स जिंदल पॉवर लिमिटेड ग्राम-तमनार को नोटिस जारी किया गया है।

चैन स्नैचिंग गिरोह के फरार 02 आरोपियों को घरघोड़ा पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपियों से 05 सोने पदक और बाइक जब्त, भेजे गए रिमांड पर

- घरघोड़ा के ग्राम कोगनारा और बनई के रथ मेले में 4 महिलाओं के साथ आरोपियों ने की थी चैन स्नैचिंग

रायगढ़

घरघोड़ा पुलिस ने चैन स्नैचिंग के फरार आरोपियों, राहुल गिरी और राजकुमार गिरी, को उनके निवास स्थान पर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से लूटे गए 05 सोने के पदक और अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की गई। दोनों आरोपियों को रिमांड पर पेश कर जेल भेज दिया गया है।

दिनांक 10 जुलाई 2024 को थाना घरघोड़ा में रिपोर्टकर्ता वीना राठिया (25 वर्ष) निवासी ग्राम कोगनारा, तथा दीपिका राठिया (25

वर्ष) निवासी ग्राम सारढाप ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि ग्राम कोगनारा और ग्राम बनाई के रथ मेले में भीड़ के दौरान कुछ महिलाएं और पुरुष उनके गले से सोने की चेन छीन कर भाग गए। इस रिपोर्ट के आधार पर घरघोड़ा थाना में अपराध क्रमांक 202, 203 के तहत धारा 309(6), 3(5), 61(2) बी.एन.एस. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

जांच के दौरान, पुलिस ने चार महिलाओं - आरती गिरी, राधा बाई, हेमाबाई गिरी और तिरथनी बाई को हिरासत में लिया। इन महिलाओं ने अपने बयान में खुलासा किया कि राहुल गिरी और रविंद्र गिरी ने इस अपराध की योजना बनाई थी।

दिनांक 08 जुलाई 2024 को, इन सभी ने मिलकर घरघोड़ा के ग्राम बनाई में तीन महिलाओं के गले से सोने के माला लूट लिए। इसके अगले दिन, 09 जुलाई 2024 को, ग्राम कोगनारा के रथ मेले में दो और महिलाओं के गले से सोने के माला लूटे गए। घटना के बाद, महिलाओं को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जबकि राहुल गिरी और रविंद्र गिरी भाग गए। पुलिस ने आरोपियों से लूटे गए सोने के माला कीमती 65,000 रुपये बरामद किए और सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था।

फरार आरोपियों की गिरफ्तारी : पुलिस को सूचना मिली कि फरार आरोपी अपने घर लौट आए हैं। तत्परता दिखाते हुए, पुलिस टीम ने पहले ग्राम सोनबरसा में दबिश दी और आरोपित राहुल गिरी को उनके निवास स्थान पर पकड़ी जिसे साथ लेकर आरोपित राजकुमार गिरी के घर दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपराध में शामिल होने की बात स्वीकार की। पुलिस ने इनके कब्जे से 05 नग सोने के पदक वजनी लगभग 03 ग्राम कीमती 21,000 रुपये और अपराध में इस्तेमाल की गई एक नीला-काला यामाहा मोटरसाइकिल (नंबर सीजी-12-बी.एन.-9847) बरामद की। आरोपी राहुल गिरी (19 वर्ष) निवासी ग्राम सोनबरसा, थाना दरिमा, जिला सरगुजा और राजकुमार गिरी (40 वर्ष) निवासी ग्राम कोनकोना, थाना बांगो, जिला कोरबा को दोपहर न्यायिक रिमांड पर पेश कर जेल भेज दिया गया है।

भारतीय थल सेना अग्निवीर भर्ती के सफल अभ्यर्थियों के लिए दिसम्बर माह में होगा शारीरिक दक्षता परीक्षण

- दिसम्बर में रायगढ़ में होने वाली अग्निवीर भर्ती की तैयारियों को लेकर सेना के अधिकारियों और जिला प्रशासन की हुई अहम बैठक
- भारतीय थल सेना अग्निवीर भर्ती के लिए आवश्यक तैयारियां करें पूर्ण- कलेक्टर कार्तिकेया गोयल
- बोईरदादर स्टेडियम में मूलभूत आवश्यकता के संबंध में संचालक, थल सेना अग्निवीर भर्ती ने दी जानकारी

रायगढ़

भारतीय थल सेना अग्निवीर भर्ती हेतु माह अप्रैल 2024 में सेना भर्ती कार्यालय रायपुर द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। जिसका परिणाम घोषित होने के पश्चात आगामी दिसम्बर माह में शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु आयोजित थल सेना भर्ती रैली के तैयारियों के संबंध में कर्नल एवं डायरेक्टर थल सेना अग्निवीर भर्ती छ.ग. एन.पी.सेमल्टी एवं कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने बैठक ली।

कलेक्टर गोयल ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक सुविधाएं समय-सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव, एडीएम संतन देवी जांगड़े, एडिशनल एसपी रामगोपाल करियारे उपस्थित रहे।

कर्नल एन.पी.सेमल्टी ने बताया कि लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए 4 से 12 दिसम्बर 2024 तक रायगढ़ में शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिसमें छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के लगभग 8500 अभ्यर्थी भर्ती रैली में शामिल होंगे। जिसके लिए बोईरदादर स्टेडियम में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित किया जाना है, ताकि सुव्यस्थित रूप से भर्ती रैली आयोजित हो सके। उन्होंने भर्ती रैली के संबंध में जानकारी देते हुए निष्पक्ष भर्ती हेतु अन्य राज्यों के सेना से मैन पॉवर मंगाई जाएगी। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन से मैदान पर जरूरी आवश्यकताओं की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने सेना भर्ती की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी भी दी। उन्होंने विद्युत आपूर्ति, हाई स्पीड इंटरनेट, मैन पावर, टेबल चेयर, एम्बुलेंस जैसे अन्य सुविधाओं की आवश्यकता बतायी।

कलेक्टर गोयल ने रनिंग ट्रैक, वाटर प्रुफ पंडाल, बैरिकेटिंग, स्टेज जैसे व्यवस्थाओं के संबंध में पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया। इसी प्रकार विद्युत की निर्बाध आपूर्ति के साथ बैकअप हेतु जनरेटर लगाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार मांग अनुरूप 3 एम्बुलेंस के साथ मेडिकल सुविधाएं सुनिश्चित करने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अभ्यर्थियों के अटेंडेंस एवं अन्य कार्यो के लिए इंटरनेट उपलब्ध करवाने के निर्देश बीएसएनएल को भी दिए। इसी प्रकार बस सुविधा, लाईट व्हीकल हेतु आरटीओ, बैरिकेटिंग एवं पुलिस जवान हेतु पुलिस विभाग को निर्देशित किए। साथ ही फायर ब्रिगेड, स्वच्छता, वाटर टैंक, मोबाइल टॉयलेट, कंप्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन जैसे अन्य सुविधाओं के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आगामी 29 नवंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर रिसलदार मेजर रूबेश कुमार असिस्टेंट रिक्रूटमेंट ऑफिसर, एसडीएम प्रवीण तिवारी, डिप्टी कलेक्टर महेश शर्मा, हवलदार शुभम यादव, जिला रोजगार अधिकारी रामजीत राम, निगम सहित भर्ती रैली में संलग्न विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

नंदेली में ओड़िसा राज्य की अवैध शराब पर आबकारी विभाग की कार्यवाही

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने जिले में अवैध शराब बिक्री, परिवहन एवं भंडारण के रोकथाम हेतु आबकारी विभाग को निर्देश दिए हुए है। उक्त निर्देश के परिपालन में अन्य राज्य की अवैध शराब विक्रय की सूचना मिलने पर आबकारी वृत्त रायगढ़ (उत्तर) अन्तर्गत ग्राम नंदेली थाना कोतरारोड में आबकारी विभाग के संयुक्त दल द्वारा कार्यवाही की गई। आरोपी डिलक राम साहू के अधिपत्य से घर में छुपा कर रखी हुई 6 नग मेकडावेल नंबर वन व्हीस्की पाव, 70 नग किंग फिशर बियर केन (केवल ओड़िसा में विक्रय हेतु लेबल लगा) एवं 122 नग गोवा स्पेशल व्हीस्की पाव समेत कुल 58.040 लीटर मदिरा जप्त की गई। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत गैर जमानतीय धारा में प्रकरण क़ायम कर जेल दाखिल किया गया है। उक्त कार्यवाही में प्रशिक्षु जिला आबकारी अधिकारी योगेश्वर कुमार द्विवेदी, आबकारी उपनिरीक्षक रागिनी नायक, जितेश नायक, आबकारी मुख्य आरक्षक नेल्सन लबेट, आबकारी आरक्षक तुलेश्वर राठौर, लाकेश नेताम, भेखराम पटेल और वेदराम साहू का योगदान रहा।

धान खरीदी में बड़ी अनियमितता कर 1.40 करोड़ की आर्थिक क्षति पहुंचाने वाले 4 लोगों पर एफआईआर

- लैलूंगा के राजपुर समिति का है मामला
- कलेक्टर गोयल के निर्देश पर हुई कार्यवाही

रायगढ़

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान खरीदी के दौरान आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. राजपुर के कर्मचारियों ने मिलीभगत कर बड़ी आर्थिक अनियमितता को अंजाम दिया है। इस समिति में भौतिक सत्यापन के दौरान धान के स्टॉक और बारदाना में बड़ी कमी पायी गई है। जिससे शासन को लगभग 1.40 करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति हुई है। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर अपेक्स बैंक, सहकारिता व खाद्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए संबंधित दोषी व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज करायी गई है।

खाद्य अधिकारी खुमेश्वर सिंह ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 समर्थन मूल्य में धान खरीदी के कार्य में आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. राजपुर पं.क्र. 101 वि.ख. लैलूंगा के कर्मचारियों समिति के प्रभारी प्रबंधक, खरीदी प्रभारी, कम्प्यूटर आपरेटर, सलीम भगत, संस्था के लिपिक दर्शन साव, फड़ प्रभारी मुरलीधर नाग एवं बारदाना प्रभारी आकाश भगत द्वारा आपसी मिलीभगत कर बड़ी अनियमितता किये जाने के कारण भौतिक सत्यापन में 4366.80 क्विटल धान (दर प्रति क्विटल 3100 रू.) कम एवं बारदाना कमी नया बारदाना 5459 नग (प्रति बारदाना 73.98 रू.), पुराना बारदाना 5459 नग (प्रति बारदाना 25 रू.) एवं पी.डी.एस. बारदाना 1340 नग (प्रति बारदाना 25 रू.) कुल धान कमी की राशि 1 करोड़ 35 लाख 37 हजार 80 रूपये एवं कुल बारदाना कमी की राशि 5 लाख 73 हजार 831.82 रूपये इस प्रकार कुल राशि 1 करोड़ 41लाख 10 हजार 911.82 रुपये की कमी पायी गई। शासन को हुई आर्थिक क्षति के लिए प्रकरण में दोषी उक्त 4 व्यक्तियों के विरूद्ध लैलूंगा थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

गर्भवती माताओं की पहली एएनसी जांच समय पर कराने चलाए अभियान -कलेक्टर

- अस्पतालों में भर्ती गर्भवती महिलाओं का रखें विशेष ध्यान
- कलेक्टर गोयल ने एमडीएसआर समिति की ली बैठक

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने कलेक्टर सभाकक्ष में स्वास्थ्य विभाग के जिला एमडीएसआर समिति की बैठक ली। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव उपस्थित रहे। कलेक्टर गोयल ने कहा कि सभी स्वास्थ्य अधिकारी संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने व अस्पतालों में भर्ती गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने व सुरक्षित प्रसव को लेकर पूरी संजीदगी से काम करें। उन्होंने मितानिनों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं का पंजीयन, उनका नियमित स्वास्थ्य जांच एवं फालोअप लेने की हिदायत दी। कलेक्टर गोयल ने गर्भवती माताओं को मिलने वाली रेडी टू ईट फूड की भी जानकारी लेते हुए नियमित इसका वितरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी गर्भवती माताओं की पहली एएनसी (एंटीनेटल केयर टेस्ट) जांच टाईम पर कराने हेतु अभियान चलाने के निर्देश दिए। कलेक्टर गोयल ने कहा कि लोगों को संस्थागत प्रसव के लिए जागरुक करें और शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों में आने के लिए प्रेरित करें। शासन के संस्थागत प्रसव की योजना का लाभ महिलाओं को मिले इसके लिए सार्थक पहल करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव को लेकर जागरुकता अभियान चलाने के साथ-साथ मितानिनों व कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक करने में जुट जाएं। स्वास्थ्य केन्द्रों में शासन से मिलने वाली सभी दवाईयां की उपलब्धता सुनिश्चित करवायें, जिससे ग्रामीण जनों को भटकना न पड़े।

बैठक में सीएमएचओ डॉ.बी.के.चंद्रवंशी, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ.बी.पी.पटेल, सिविल सर्जन डॉ.उषा किरण भगत, डीपीएम रंजना पैकरा, डॉ.काकोली पटनायक, ब्लड बैंक प्रभारी डॉ.तनवी तिग्गा, समस्त विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं विकासखण्ड प्रबंधक, सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, मितानिन उपस्थित रहे।

नाईट शिफ्ट वाले गंभीरता से करें अपनी ड्यूटी

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने स्वास्थ्य केन्द्रों में नाईट शिफ्ट में कार्यरत डॉक्टर सहित सभी स्वास्थ्य अमले को गंभीरता से अपनी ड्यूटी करने के निर्देश दिए। जिससे भर्ती एवं आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। रात में भर्ती सभी मरीजों के स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग करते रहे एवं अनावश्यक किसी को रात में डिस्चार्ज न करें।

बिना सूचना लम्बे समय से गायब कर्मचारियों की करें ब्रेक इन सर्विस

बैठक के दौरान कलेक्टर कार्तिकेया को जानकारी मिली कि स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारी अनावश्यक रूप से बिना बताए गायब है। ऐसी सभी कर्मचारियों का ब्रेक इन सर्विस करने के निर्देश दिए सीएमएचओ को दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480